रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1976/चैत्र 11, 1898
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1976/CHAITRA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March 1976

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 (49 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and Commencement.**—These rules may be called the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st April, 1976.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 (49 of 1975);

(2) "police officer" means a police officer not below the rank of a sub-inspector of police;

(3) "Form" means a form set out in the Appendix to these rules;

(4) "section" means a section of the Act.

3. **Seizure of Package of Cigarettes.**—(1) Every seizure made in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 9 shall be made in the manner hereinafter provided in these rules.

(2) The police officer may carry or keep the package so seized in the safe custody of the person from whom it was seized if it is not possible to carry the seized package:

Provided that in the event of his keeping the package so seized in the safe custody of the person from whom it was seized, he shall carry one or more packages as sample to be dealt with as hereinafter provided:

Provided further that in respect of the package that the police officer keeps in the custody of the person from whom the package was seized, he shall require him to execute a bond in Form C for a sum of money nearly equal to the value of such articles with two sureties for the like amount.

(3) A police officer seizing a package of cigarettes under sub-section (1) of section 9, shall prepare a seizure list of such package in Form A and shall seal such package in the manner provided in rule 4.

(4) The package of cigarettes seized shall be marked with a distinguishing number and shall also be signed by the police officer, the person from whom the package has been seized and two respectable inhabitants of the locality.

(5) The package so seized or one or more samples thereof taken under sub-rule (2), and a copy of the seizure list shall be forwarded for safe custody to the officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the seizure was made, for taking further action for the contravention of the provisions of the Act;

Provided that where the police officer is of opinion that the retention in his custody of the seized package of cigarettes for a period exceeding ninety days is necessary, he shall obtain the leave of the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the seizure was made, for such retention.

4. **Manner of packing and sealing the package of cigarettes seized.**—(1) The package of cigarettes so seized shall be completely wrapped in fairly strong thick (Manilla) paper in such a way that the contents of the package may not be tampered with and the ends of the paper shall be neatly folded in and affixed by means of gum or other adhesive.

(2) The paper cover shall be further secured by means of strong twine or thread and the twine or thread shall be fastened on the paper cover by means of sealing wax on which there shall be at least four distinct and clear impressions of the seal of the police officer of which one shall be on the top of the package, one at the bottom and the other two at the body of the package and knots of the twine or thread shall be covered by means of sealing wax bearing the impression of the seal of the police officer.

5. **Forms of Order not to dispose of stock and of bond.**—Where the police officer keeps a package of cigarettes seized under sub-section (1) of section 9 with the person from whom it is seized, he shall after sealing such package of cigarettes, make an order to the person from whom it is seized in Form B and the person shall comply with such order.

6. **Duties of Police Officer.**—It shall be the duty of police officer—

(1) to inspect as frequently as may be required all establishments licensed for the manufacture, storage or sale of cigarettes within the local limits of his jurisdiction,

(2) to satisfy himself that the provisions of the Act are being observed,

(3) to investigate any complaint which may be made to him in writing in respect of any contravention of the provisions of the Act, or of these rules,

(4) to maintain a record of all inspections made and action taken by him in the performance of his duties including the seizure of stock and to submit copies of such record to the officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction such action was taken or, as the case may be, seizure was made,

(5) to make such inquiries and inspections as may be necessary to detect the production, storage or distribution of cigarettes in contravention of the provisions of Act or of these rules,

(6) to stop any vehicle suspected to carry cigarettes for sale or delivery for smoking in contravention of the provisions of the Act or of these rules,

(7) to perform such other duties as may be entrusted to him under these rules.

7. **Refund of Penalty/Fine.**—(1) Where by reason of an order or decision of the appellate or revisional court, any refund of any penalty or fine imposed under this Act becomes necessary, the appellant or applicant for revision as the case may be, may claim for refund in Form D and every such claim shall be accompanied by a certified copy of the decision or order of the appellate or revisional court, as the case may be.

(2) The claim for refund shall be referred with a period not exceeding ninety days from the date of decision or order of the appellate or revisional court as the case may be:

Provided that in computing the said period of ninety days, the time required for obtaining a certified copy of the decision or order of the court shall be excluded.

(3) The claim shall be presented by the claimant in person or through a duly authorised agent or by post, to the local Treasury Officer.

(4) The Treasury Officer shall, if he is satisfied about the claimant's right to get the refund, make the payment to the claimant or to a person duly authorised by him or by post, and obtain necessary receipt of payment.

THE APPENDIX

FORM A

[*See* rule 3(3)]

To

(Name and address of the person from whom packages of cigarettes are seized)

————————————

————————————

The stock of cigarettes detailed below has this day been seized by me under sub-section (1) of section 9 of the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 (49 of 1975), from the premises————————situated at ————————.

Details of packets of cigarettes seized:

Place:———————— ————————

(Police Officer)

Area————————

FORM B

[*See* rule 5(1)]

To

(Name and address of the vendor)

————————————

————————————

Whereas packages of cigarettes intended for supply and distribution which are in your possession appear to me to be without the specified warning as defined in the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 (49 of 1975), I hereby direct you to keep in your safe custody the said sealed stock subject to such orders as may be issued subsequently in relation thereto.

Place:————————. ————————

(Police Officer)

Area————————

FORM C

[*See* rule 3(2)]

BOND OF SURETY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE (1)..................... son of .... resident of .... and (2) .... son of .... resident of .... Proprietors/ partners/of M/s...................... and M/s. .... Ltd., a company recognised under the Companies Act 1956 having its registered office at........... (hereinafter called the producer/supplier/distributor/traders/importers) and (3) ....son of .... resident of .... and (4) .... son of .... resident of .... (hereinafter called the surety/sureties are held and firmly bound upto the President of India/ Governor of .... (hereinafter called the Government) in the sum of Rs...... (Rupees ....) to be paid to the Government on demand and without demur for which payment to be well and truly made we firmly bind ourselves and our successors/heirs/administrators jointly severally by these presents.

Dated this .... day of .... One thousand nine hundred and ....

WHEREAS Shri .... Police Officer attached to Police Station.......... has seized .... (here insert the description of materials together with number/quantity and total police hereinafter referred to as said article of) from......... at................................. (specify persons and place).

AND, WHEREAS, on the request of the producer/supplier/distributor/importer(s) the Government agreed to keep the said attached articles in the safe custody of.......... on the condition of producer/supplier/distributor/trader/importer(s) executing a bond in the terms herein contained supported by surety/two sureties which the producer/supplier/ distributor/trader/importer(s) has/have agreed to do.

AND, WHEREAS, on the request of the producer/supplier/distributor/trader/importer(s) is such that if the producer/supplier/distributor/trader/importer(s) produce intact the said attached articles before such court or authority and on such date or dates and times as may be specified by the said Police Officer or any other officer acting on his behalf from time to time and till such Police Officer or any other officer acting on his behalf releases the producer/supplier/distributor/trader/importer(s) from doing so or the attached articles are released by court, then and in such event the said bond shall be void and of no effect otherwise the same shall be and remain in full force and virtue.

AND it is hereby expressly agreed by and between the parties that the decision of the said Police Officer or any other officer acting on his behalf as to whether the producer/ supplier/distributor/trader/importer(s) has/have carried out or failed to carry out the aforesaid obligation shall be final and binding on the producer/supplier/distributor/trader/ importer(s) and the sureties.

THESE PRESENTS FURTHER WITNESS AS FOLLOWS.—(i) The liability of the surety/sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of any time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the sureties or either of them in respect of or in relation to all or any of the obligations or conditions to be performed or discharged by the producer/supplier/distributor/trader/importer(s) nor shall it be necessary for the Government to sue the producer/supplier/distributor/trader/importer(s) before sueing the sureties or either of them for the amount due hereunder.

(ii) This bond is given under the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 (49 of 1975), for the performance of an act in which the public are interested.

(iii) The Government shall bear the stamp duty payable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF THESE PRESENTS have been signed by the producer/supplier/distributor/trader/importer(s) and the surety/sureties the day herein above mentioned.

Witness

1. Signature
   Name and Address

Signature of
producer/supplier/distributor/trader/importer(s)

2. Signature
   Name and Address

Signature of
Surety/Sureties

Accepted

For and on behalf of the President of India/Governor of............

Signature

(Name and Designation)

*Delete words inapplicable.

FORM D
[*See rule* 7(2)]

District of

Head of Account........REFUND OF REVENUE
Deduct-REFUNDS (Name of Revenue Head)

In whose name credited	On what account received	Amount realised	Date of payment into Treasury	Amount in which included and head to which credited	Treasury Officer's signature in token of verification of Treasury credit	Name of payee	Amount to be refunded
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rs. p.		Rs. p.			Rs. p.

(1) Certified that this order of refund has been registered and noted against the original receipt entry in the account under my initials and previous order for refund of the same sum has not been issued.

(2) Passed for payment under sanction given in....................................

(3) Sanctioned and passed for payment.

Note.—(2) or (3) to be struck out as required.

Received payment

Claimant's Signature

Date..................

Examined
Treasury Accountant

Magistrate or other officer
Pay Rupees ......( ) only

Treasury Officer.

In cases where refunds of fines are permitted to be made direct from treasuries or sub-treasuries other than those at which they were credited, the entry in column 5 should include the name of the treasury or sub-treasury in which the amount was credited and column 6 should be filled up by the Treasury Officer of the district (not sub) Treasury.

For use in Accountant General's Office
Admitted
Objected
Auditor

Superintendent

[No. P. 16012/1/75-P.H.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

सा० का० नि० 266 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—इन नियमों का नाम सिगरेट (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन), नियम, 1976 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न ो, —

(1) "अधिनियम" से सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49) अभिप्रेत है;

(2) "पुलिस अधिका ी" से ऐसा पुलिस अधिका ी अभिप्रेत है जो पुलिस उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है;

(3) "प्ररुप" से इन नियमों के परिशिष्ट में दिया गया प्ररुप अभिप्रेत है;

(4) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. **सिगरेटों के पैकेज का अभिग्रहण.**—(1) धारा 9 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया प्रत्येक अभिग्रहण उस रीति से किया जाएगा जो इन नियमों में इसके पश्चात् उपबंधित है।

(2) पुलिस अधिकारी ऐसे अभिगृहीत पैकेजों को साथ ले जा सकेगा, अथवा यदि अभिगृहीत पैकेज को साथ ल जाना सम्भव न हो तो वह उसे उस व्यक्ति को, जिससे वह अभिगृहोत किया गया है, सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा।

परन्तु यदि वह ऐसे अभिगृहीत पैकेज को उस व्यक्ति को, जिससे उसे अभिगृहीत किया गया था, सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है, तो वह एक या एक से अधिक पैकेजों को नमूने के रूप में, इसमें इसके पश्चात् किए गए उपबंधानुसार, कार्यवाही की जाने के लिए, साथ ले जाएगा :

परन्तु यह और कि उस पैकेज की बाबत जिसे पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है जिससे वह पैके ा अभिगृहीत किया गया था, वह उस व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह प्ररूप ग में उतनी धनराशि का जो ऐसी वस्तुओं के मूल्य के लगभग बराबर हो, उतनी ही रकम के ो प्रतिभुओं के सहित बन्धपत्र निष्पादित क े।

(3) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सिगरटों का कोई पकेज अभिगृहीत करने वाला पुलिस अधिकारी, प्ररुप क में ऐसे पैकज की एक अभिग्रहण सूची तया करेगा औ ऐसे ैकेज को नियम 4 में उपबंधित रीति में मोहरबंद करेगा।

(4) अभिगृहीत सिगरेटों के पैकेज पर कोई सुभदक संख्या अंकित की जाएगी और उस पर उस पुलिस अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा जिससे वह पैकेज अभिगृहीत किया गया है और उस स्थल के किन्हीं दो प्रतिष्ठित निवासियों द्वारा हस्ताक्ष भी किये जाएंग :

(5) ऐसे अभिगृहीत पैकेज अथवा उपनियम (2) के अधीन लिए गए उसके एक या अधिक नमूने, और अभिग्रहण सूची की एक प्रति, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अभिग्रहण किया था, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, भेज दिए जाएंगे, जिससे कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए आगे कार्यवाही की जाए :

परन्तु जहां पुलिस अधिकारी की यह राय हो कि सिगरेटों के अभिगृहीत पैकेज का नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए उसकी अभिरक्षा में रखा रहना आवश्यक है, वहां वह ऐसे रखे रहने के लिए, उस जिला न्यायाधीश की, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अभिग्रहण किया गया था, इजाजत अभिप्राप्त करेगा ।

4. **अभिगृहीत सिगरेटों को पैक करने और पैकेजों को मोहरबंद करने की रीति.**—(1) ऐसे अभिगृहीत सिगरेटों के पैकेज को काफी मजबूत (मनीला) कागज में पूरी तरह ऐसे ढंग से लपेटा जाएगा कि पैकेज की अन्तर्वस्तुओं को बिगाड़ा न जा सके तथा कागज के सिरों को सफाई से अन्दर की ओर मोड़ा जाएगा और गोंद या अन्य आसंजक से चिपका दिया जाएगा ।

(2) कागज के आवरण को मजबूत सुतली या धागे से और सुरक्षित किया जाएगा तथा सुतली या धागे को कागज के आवरण पर लाख से चिपका दिया जाएगा, जिस पर उस पुलिस अधिकारी की मुद्रा की कम से कम चार सुभिन्न और स्पष्ट छापें होंगी जिनमें से एक पैकेज के ऊपरी भाग पर एक, निचले भाग पर और अन्य दो पैकेज के पेटे पर होंगी, तथा सुतली या धागे की गाठें लाख से ढंक दी जाएंगी जिन पर पुलिस अधिकारी की मुद्रा की छाप होगी ।

5. **स्टाक का व्ययन न करने के आदेश और बंधपत्र के प्ररुप.**—जहां पुलिस अधिकारी धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत सिगरेटों के पैकेज को उस व्यक्ति के पास रखता है जिससे उसे अभिगृहीत किया गया है, वहां वह सिगरेटों के ऐसे पैकेज को मोहरबन्द करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहीत किया जाता है, प्ररूप ख में आदेश देगा तथा वह व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

6. **पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य.**—पुलिस अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :—

(1) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सिगरेटों के विनिर्माण, भण्डारकरण या विक्रय के लिए अनुज्ञप्त सभी स्थापनों का उतनी अधिक बार निरीक्षण करना जितनी अपेक्षित हो,

(2) अपना यह समाधान करना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है,

(3) किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण करना जो अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के बारे में उससे लिखित रूप में किया जाए,

(4) अपने कर्त्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्यवाही का जिसके अन्तर्गत स्टाक का अभिग्रहण भी आता है, अभिलेख रखना, तथा ऐसे अभिलेख की प्रतियां उस पुलिस थाने के भारसाधन अधिकारी को प्रस्तुत करना, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, यथा स्थिति ऐसी कार्यवाही की गई थी या ऐसा अभिग्रहण किया गया था,

(5) ऐसी जांचें और निरीक्षण करना जो अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में, सिगरेटों के उत्पादन, भण्डारकरण या वितरण का पता चलाने के लिए आवश्यक हों,

(6) किसी ऐसे यान को रोकना जो अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में धूम्रपान के लिए विक्रय या परिदान के लिए सिगरेटों का वहन करने के लिए संदिग्ध हो,

(7) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इन नियमों के अधीन सौंपे जाएं ।

7. **शास्ति/जुर्माने का प्रतिदाय.**–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति और जुर्माने का कोई प्रतिदाय, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय के कारण, आवश्यक हो जाता है वहां, यथा स्थिति, अपीलार्थी या पुनरीक्षण के लिए आवेदक प्रारूप घ में प्रतिदाय के लिए दावा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक दावे के साथ, यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी ।

(2) प्रतिदाय के लिए दावा, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के विनिश्चय या आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु नब्बे दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में, उतने समय का जो न्यायालय के विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो, अपवर्जन कर दिया जाएगा ।

(3) दावेदार द्वारा दावा स्वयं या किसी सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा या डाक से स्थानीय खजाना अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा ।

(4) यदि खजाना अधिकारी का प्रतिदाय प्राप्त करने के दावेदार के अधिकार के बारे में समाधान हो जाता है तो वह दावेदार को अथवा उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति को या डाक से संदाय करेगा और संदाय की आवश्यक रसीद अभिप्राप्त करेगा ।

परिशिष्ट

प्रारूप क

[नियम 3 (3) देखिए]

सेवा में,

(उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे सिगरेटों के पैकेज अभिगृहीत किए गए हैं)

....

....

सिगरेटों का वह स्टाक जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन मेरे द्वारा आज..

पर स्थित..

परिसर से अभिगृहीत कर लिया गया है ।

अभिगृहीत सिगरेटों के पैकेटों का ब्यौरा :

....

पुलिस अधिकारी

क्षेत्र ....

स्थान ....

प्ररूप ख

[नियम, 5 (1) देखिए]

सेवा में,

(विक्रेता का नाम और पता)

....

....

प्रदाय और वितरण के लिए आशयित उन सिगरेटों के पैकेटों के बारे में, जो आपके कब्जे हैं, मुझे यह प्रतीत हुआ है कि उन पर वह विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है जो सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय औ में वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49) में परिभाषित है ;

अत: अब, सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इसके द्वारा आपको निदेश देता हूं कि आप ऐसे उक्त मोहरबंद स्टाक को, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो उसके संबंध में तदुपरान्त जारी किए जाएं, अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखें ।

....

पुलिस अधिकारी

क्षेत्र ....

स्थान.....................

प्ररूप ग

[नियम 3(2) देखिए]

इस विलेख से सब लोगों को ज्ञात हो कि हम (1).................. .... का निवासी और .... का पुत्र ....और (2) ....का निवासी और ....का पुत्र ...., जो मैसर्स ....और मैसर्स .... लिमिटेड के, जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है, स्वत्वधारी / भागीदार हैं (जिसे / जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उत्पादक / प्रदायकर्ता /

वितरक / व्यापारी / आयातक कहा गया है), तथा (3) ....का निवासी और ....का पुत्र ....और (4) .... का निवासी और ....का पुत्र .... (जिसे / जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति ....के राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) के प्रति, सरकार की मांग पर और विप्रतिपत्ति के बिना संदाय की जाने के लिए ....रुपए (......................रुपए) की राशि के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध है, जिस संदाय के पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए हम स्वयं अपने को और अपने उत्तराधिकारियों / वारिसों / प्रशासकों को इस विलेख द्वारा संयुक्त और पृथकतः दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं ।

आज एक हजार नौ सौ...............................के / की ....के ....दिन किया गया।

श्री ...., पुलिस अधिकारी ने, जो ....पुलिस थाने में लगे हुए है, ... पर ....,.....(व्यक्तियों और स्थान का विनिर्देश करें) ....से ....(यहां उस सामग्री का वर्णन तथा उसकी संख्या / मात्रा तथा कुल कीमत भरें जो इसमें इसके पश्चात् उक्त वस्तु के रूप में निर्दिष्ट हैं , अभिगृहीत कर ली हैं ;

और उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों)/ व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) के अनुरोध पर सरकार, उक्त अभिगृहीत वस्तुओं को ....की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गई थी कि उत्पादक / प्रदायकर्त्ता / वितरक / व्यापारी / आयातक इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट निबंधनों वाला तथा प्रतिभू / दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र का निष्पादन करेंगे, जिसके लिए उत्पादक / प्रदायकर्त्ता / वितरक / व्यापारी / आयातक ऐसा करने के लिए सहमत हो गया है / हो गए हैं ।

अब, ऊपर लिखित बंधपत्र या अधिबंधन की शर्त यह है कि यदि उत्पादक/ प्रदायकर्त्ता / वितरक / व्यापारी / आयातक उक्त कुर्क की गई वस्तुओं को ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष तथा उस तारीख या उन तारीखों को और उन समयों पर, जो उक्त पुलिस अधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की / किए जाएं तथा तब तक जब तक कि ऐसा पुलिस अधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई

अन्य अधिकारी, उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) को ऐसा करने से निर्मुक्त करता है अथवा जब तक कि कुर्क की गई वस्तुओं को न्यायालय द्वारा निर्मुक्त किया जाता है अविकल रूप में पेश करता है / करते हैं, तो तथा ऐसी दशा में उक्त बंधपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा, अन्यथा वह पूर्णतया प्रवृत्त और बलशील होगा और रहेगा।

और पक्षकारों द्वारा और उनके बीच, इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है कि उक्त पुलिस अधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य अधिकारी का इस बाबत विनिश्चय, कि क्या उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) ने उपर्युक्त बाध्यता का पालन किया है या वह / वे उपर्युक्त बाध्यता का पालन करने में असफल रहा है / रहे हैं, अन्तिम तथा उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता) (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) और प्रतिभुओं पर आबद्ध कर होगा।

यह विलेख आगे निम्नलिखित का साक्ष्य है :—

(i) कि प्रतिभू / प्रतिभुओं का इसके अधीन दायित्व, इस कारण ह्रासित या उन्मोचित नहीं हो जाएगा कि सरकार द्वारा, प्रतिभुओं या उनमें से किसी की जानकारी या सम्मति के सहित या उसके बिना, उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) द्वारा अनुपालन या निर्वहन की जाने वाली सभी बाध्यताओं या शर्तों या उनमें से किसी की बाबत या उसके / उनके सम्बन्ध में समय प्रदान कर दिया गया है, या सरकार की ओर से कोई विरति, कार्य या लोप किया गया है; और न सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इसके अधीन शोध्य रकम के लिए प्रतिभुओं या उनमें से किसी पर वाद चलाने के पहले उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) पर वाद चलाए।

(ii) कि यह बंधपत्र सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय, वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49) के अधीन ऐसे कार्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, दिया जा रहा है।

(iii) कि इस विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करेगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) तथा प्रतिभू / प्रतिभुओं ने इस पर, इसमें ऊपर वर्णित दिन को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

साक्षी :—

1. हस्ताक्षर ....

नाम और पता ....

....

2. हस्ताक्षर ....

नाम और पता ....

....

उत्पादक (उत्पादकों) / प्रदायकर्त्ता (प्रदायकर्त्ताओं) / वितरक (वितरकों) / व्यापारी (व्यापारियों) / आयातक (आयातकों) के हस्ताक्षर...........

प्रतिभू / प्रतिभुओं के हस्ताक्षर ....

भारत के राष्ट्रपति / ....
के राज्यपाल के निमित्त और उनकी ओर से स्वीकृत

हस्ताक्षर ....
(नाम और पदाभिधान)

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप घ

[नियम 7 (2) देखिए]

राजस्व के प्रतिदाय के लिए विपत्र

जिला ....

लेखा शीर्ष ....

राजस्व का प्रतिदाय
कटौती-प्रतिदाय (राजस्व शीर्ष का नाम)

किसके नाम मे जमा किया गया	किस लेखे प्राप्त हुआ	वसूल की गई रकम	खजाने में संदाय की तारीख	किसी रकम में सम्मिलित किया गया और किस शीर्ष में जमा किया गया	खजाना जमा के सत्यापन के प्रमाण स्वरूप खजाना अधिकारी के हस्ताक्षर	पाने वाले का नाम	प्रतिदाय की जाने वाली रकम
1	2	3	4	5	6	7	8
		रु० पै०		रु० पै०			रु० पै०

(1) प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिदाय का यह आदेश रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है और मेरे आद्यक्षर के अधीन खाते में मूल प्राप्ति प्रविष्टि के सामने अंकित कर लिया गया है तथा उस राशि के प्रतिदाय के लिए पूर्वतन आदेश जारी नहीं किया गया है।

(2) ....में दी गई मंजूरी के अधीन संदाय के लिए पारित।

(3) संदाय के लिए मंजूर और पारित किया गया।

टिप्पण:—(2) या (3) की अपेक्षानुसार काट दीजिए।

मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी

संदाय प्राप्त हुआ दावेदार के हस्ताक्षर	परीक्षा की गई खजाना लेखापाल	केवल .... (......) रुपए का संदाय कीजिए खजाना अधिकार

1. उन दशाओं में जिन में जुर्मानों के प्रतिदाय सीधे उन खजानों या उपखजानों से, जो उन से भिन्न हैं जिन में वे जमा किए गए थे, किए जाने अनुज्ञात है, स्तंभ 5 की प्रविष्टि के अन्तर्गत उस खजाने या उपखजाने का नाम आना चाहिए जिसमें रकम जमा की गई थी तथा स्तंभ 6 को जिला खजाना (न कि उपखजाना) अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए।

कृते..............................

महालेखापाल के कार्यालय में उपयोग के लिए

स्वीकृत

आक्षेपित

संपरीक्षक

....

अधीक्षक

[सं० पी० 16012/1/75-पी० एच०]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976